रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एल.)-72 REGISTERED No. D. (D L)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II— Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 282] नई दिल्ली, बुधवार, जून 5, 1985/ज्येष्ठ 15, 1907
No. 282] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 5, 1985/JYAISTHA 15, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 1985

का. आ. 447(अ).—केन्द्रीय सरकार, आतंकवादी क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1984 (1984 का 61) की धारा 5 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से श्री एन. सी. खोची, अपर जिला तथा सत्र न्यायाधीश, जालन्धर को जालन्धर न्यायिक जोन में स्थापित विशेष न्यायालय में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए अपर न्यायाधीश नियुक्त करती है ।

[फा. सं. 1/8/84-लीगल सैल]

एन. पी. नवानी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th June, 1985

S.O. 447(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the Terrorist Affected Areas (Special Courts) Act, 1984 (61 of 1984), the Central Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Punjab and Haryana hereby appoints Shri N. C. Khichi, Additional District and Sessions Judge, Jalandhar to be an Additional Judge to exercise jurisdiction in the Special Court established in Jalandhar Judicial Zone.

[F. No. 1|8|84-Legal Cell]

N. P. NAWANI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985